

CERTIFICATE OF LAND

File No. 372

Date 21/1/2026

Certified that the land measuring **105509.34 Square Meters** is owned by the **Shri Bhawani Niketan Education and Charitable Trust** by way of **Allotment Letter** क्रमांक : प. 2(4455) राज/ग्रुप-3/90 जयपुर, दिनांक 21.07.94 (In case of allotment of land, if it is not perpetual, periodicity of allotment to be mentioned from **N/A** to **N/A**).

It is further certified that owner of the land has leased the said land to **N/A** (Name of the School/Society/Trust/Company under Section 8 of companies Act, 2013) fully described in the schedule mentioned hereinafter with the following details for a period of **N/A** years from **N/A** to **N/A**

SL	Particulars	Details
1.	Plot No. (s)/Survey No. (s)/Khasra No. (s)/Khata No. (s)/Khatauni No. (s)	1/2 Khasra No.
2.	Name of Steet/village, Sub Division, District and State	Bassi Sitarampura Jaipur, Rajasthan

It is certified that the said entire land comprise of a single contiguous plot of land. It is further certified that **Shri Bhawani Niketan Mahila P.G. Mahavidhyalaya, Sikar Road, Jaipur, Rajasthan** (Name of the School with name of street village, sub-division and district) run by name of **Shri Bhawani Niketan Education and Charitable Trust / Shri Bhawani Niketan Shiksha Samiti** (Society/Trust/Company under Section 8 of companies Act, 2013) is located on the said plot of land.

THE SCHEDULED OF LAND ABOVE REFERRED TO

All that piece and parcel of land measuring **105509.34 sq. mtr.** (Area of land in square meters) situated in **Khasra No. 1/2** (Plot No. (s)/Survey No. (s)/Khasra No. (s)) at **Bassi Sitarampura Jaipur, Rajasthan** (name of street/village, sub division, district and state).

TEHSILDAR/ NAIB TEHSILDAR/ EQUIVALENT LAND AUTHORITY

(Stamp and Signature of the land authority)



(Name of Officer)
 तहसीलदार
 (Name of District)

क्रमांक 3567

द्वारा तहसील/नगरपालिका/नगरनिगम/विकास प्राधिकरण

दिनांक 17/7/25

तहसीलदार

सेवामें जयपुर

आयुक्त

कॉलेज शिक्षा राजस्थान

जयपुर

विषय: भूमि-भवन प्रमाण पत्र

श्री भवानी निवेदन एज्युकेशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट (समिति का नाम) द्वारा निवेदन करने पर मेरे द्वारा व्यक्तिगत रूप से भूमि दस्तावेजों व भवन की जांच की गई। जिसका विवरण निम्नानुसार है :- श्री भवानी निवेदन महिला पी.पी. महाविद्यालय हेतु

1. भूमि का पता : सीकर रोड

2. अवस्थिति

	जयपुर, जोधपुर एवं अजमेर (विकास प्राधिकरण.) क्षेत्र	अन्य सम्भागीय मुख्यालय (संभागीय मुख्यालय की स्थानीय निकाय सीमा)	जिला मुख्यालय (जिला मुख्यालय की स्थानीय निकाय सीमा)	शहरी निकाय (स्थानीय शहरी निकाय की सीमा तक)	अन्य समस्त क्षेत्र
खसरा नंबर	1/2				
भूमि का वर्ग मीटर माप	1/2 41 बीघा 14 बिस्वा	10.5471 हे०	किराना बागानी 3		
भूमि का प्रकार					
यथा शैक्षणिक /संस्थागत /आवासीय /वाणिज्यिक /कृषि भूमि					

जमाबंदी अनुसार समिति के नाम रिकॉर्ड में दर्ज उक्त खसरा संख्या/संख्याओं की भूमि मौके पर एकजुट/लगायत है।

प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त भूमि वर्तमान में

श्री भवानी निवेदन एज्युकेशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट (समिति का नाम) समिति के नाम दर्ज है।

(निम्न में से जो लागू न हो उसे काट दें)

1. उक्त भूमि पर संस्था का स्वयं का प्रस्तावित/संचालित महाविद्यालय का भवन स्थित है।

अथवा

2. उपर्युक्त भूमि व संस्था द्वारा प्रस्तावित महाविद्यालय का किराए का भवन एक ही तहसील सीमा में स्थित है।

17/7/25

पटवारी प. मण्डल
बस्सी सीतारामपुर
तहसील जयपुर

17/7/25
तहसीलदार/सक्षम अधिकारी
(हस्ताक्षर, नाम व कार्यालय मोहर)
तहसील-जयपुर
तहसीलदार (पू.अ.)
तहसील-जयपुर

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

जवाहरलाल नेहरु मार्ग, इन्दिरा सर्किल, जयपुर

क्रमांक : जविप्रा/सा/यो/ 768

दिनांक 31-3-15

श्री राजेन्द्र सिंह बागांस
श्री श्रवणी निकेतन ग्रुप चैरिटेबल ट्रस्ट
सीकर रोड, जयपुर

विषय : भूखण्ड/दुकान/शोरूम संख्या श्री श्रवणी योजना निकेतन ग्रुप चैरि. ट्रस्ट, सीकर रोड
की भूमि को प्रस्ताविक घोषित करने बाबत

संदर्भ :- आपका पत्र दिनांक

महोदय/महोदया,

विषयान्तर्गत संदर्भ में आपका ध्यान नीचे लिखे पत्र संख्या 17 की ओर आकर्षित किया जाता है :-

1. कृपया निम्न हस्ताक्षरकर्ता से कार्यालय समय में साक्षात्कार करें।
2. आपका मामला राज्य सरकार के आदेशार्थ भेजा गया है। अतः राज्य सरकार का निर्णय प्राप्त होने पर ही अग्रिम कार्यवाही सम्भव होगी।
3. आपके अधिकार में जो भूमि है उससे सम्बन्धित स्वामित्व के सम्पूर्ण दस्तावेज प्रस्तुत करें।
4. आप द्वारा चाही गई भूमि किराये पर दिया जाना सम्भव नहीं है।
5. आपका मामला प्राधिकरण के विचाराधीन है। निर्णय होने पर ही अग्रिम कार्यवाही सम्भव हो सकेगी।
6. आपका प्रार्थना पत्र दिनांक का इस कार्यालय में उपलब्ध नहीं है आप कृपया दूसरा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करें ताकि अग्रिम कार्यवाही सम्भव हो सकें।
7. आप कृपया उक्त भूखण्ड का उपविभाजन स्वीकृत हेतु निर्धारित प्रपत्र के साथ मानचित्र प्रस्तुत करें।
8. आप कृपया उक्त भूमि बाबत एन.ओ.सी. कृषि भूमि रूपान्तरण विभाग से प्राप्त कर इस कार्यालय को प्रस्तुत करें। ताकि आगामी कार्यवाही सम्भव हो सकें।
9. कृपया प्रार्थना पत्र /मानचित्र/ आवंटी के हस्ताक्षर से प्रेषित करें।
10. प्राधिकरण निरीक्षक/अधिदर्शक से सम्पर्क कर भवन का निरीक्षण कराएं।
11. कृपया मृत्यु प्रमाण पत्र एवं परिवार के सभी सदस्यों के शपथ पत्र प्रस्तुत करें।
12. आप द्वारा भूखण्ड पर अनाधिकृत निर्माण किया गया है। अनाधिकृत निर्माण को नियमबद्ध कराने हेतु मानचित्र प्रस्तुत करें। तदुपरान्त विक्रय पत्र देना सम्भव हो सकेगा।
13. उक्त भूखण्ड आपके नाम से हस्तान्तरण किया जाना सम्भव नहीं है।
14. आप द्वारा चाहे गए व्यक्तियों के नाम भूखण्ड के स्वामित्व में जोड़ना सम्भव नहीं है।
15. आप कृपया निम्न राशि रुपये के नॉन ज्यूडिशियलन स्टाम्प पेपर प्रस्तुत करें।

16. आपके प्रति निम्न राशि बकाया है। कृपया तुरन्त जमा करायें ताकि अग्रिम कार्यवाही सम्भव हो सकें।

नजराने रुपये

नजराने पर ब्याज रुपये

शहरी जमाबन्दी रुपये

शहरी जमाबन्दी पर ब्याज रुपये

विलम्ब शुल्क रुपये

पेनल्टी रुपये

उपविभाजन शुल्क रुपये

विकास शुल्क

अन्य टाइप डिजाइन रुपये

कुल योग रुपये

17. आप द्वारा शहरी निकेतन राज्य क्षेत्रान के एस चैरिटेबल ट्रस्ट सीकर मेड जयपुर की भूमि को संस्थानिक घोषित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया था। मास्टर प्लान 2025 में भूमि का उपयोग संस्थानिक है।

भवदीय,



प्रभारी अधिकारी जॉन नं.

जयपुर विकास प्राधिकरण

जयपुर